## <u>न्यायालयः— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर</u> (पीठासीन अधिकारीः—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103000232013</u> <u>दांडिक प्रकरण क.—182 / 13</u> संस्थापित दिनांक—19.06.13

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :– आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।
अभियोजन
विरुद्ध
01—सन्नी पुत्र कलीम उल्ला मुसलमान उम्र 29 साल मैदान गली चंदेरी।
02—असद खां पुत्र रहूफ खां मुसलमान उम्र 25 साल साडा कालोनी चंदेरी
आरोपीगण
राज्य द्वारा :– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपीगण द्वारा :– श्री मिर्जा अधिवक्ता।ं

## —: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 17.01.2017 को घोषित)</u>

- 01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 354, 342, 506, 34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।
- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपीगण को भादिव की धारा 342 एवं 506 बी के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादिव की धारा 354 के संबंध में पारित किया जा रहा है।
- 04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी फरहीन अंसारी ने दिनांक 02.03.13 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को जब वह घर से सिंधिया स्कूल पढ़ने जा रही थी, तब कन्या शाला स्कूल के पास, मंदिर के पास सन्नी की ओमनी मारूति वैन में असद खां आया एवं गाडी सन्नी चला रहा था। असद खां ने उसका हाथ बुरी नीयत से पकड़कर खींचकर मारुति वैन में बैठाकर मातामढ़ के रास्ते से कब्रिस्तान में उतारकर बैठाकर रखा, घर नहीं आने दिया एवं उसके बैग में रखा मोबाईल, सामान आदि देखने ले लिया तथा वापस नहीं किया एवं जब वह घर आने लगी तो घर पर बात न बताने पर जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 69/13 के अंतर्गत भादवि की धारा 354, 342, 506, 34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 05— प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 342, 354, 506 बी के

अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 01.03.13 को समय दोपहर 12 बजे कन्या शाला स्कूल के पास मंदिर के पास चंदेरी में फरियादी फरहीन अंसारी जो कि एक स्त्री है उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकडकर बुरी नीयत से ओमनी गाडी से मातामढ के रास्ते कब्रिस्तान पर ले जाकर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

## <u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 फरहीन, अ.सा. 02 असरफ की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 फरहीन ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपीगण से उसके पिताजी का झगडा हो गया था जिस पर से उसके पिताजी ने आरोपीगण के विरुद्ध प्रपी 01 की रिपोर्ट लेखबद्ध करा दी थी। उपरोक्त साक्षीगण ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण द्वारा उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया था। अ.सा. 02 असरफ ने भी अपने कथन में बताया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण ने बुरी नीयत से फरियादिया का हाथ पकडा था। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य से यह कहीं प्रमाणित नहीं होता कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा मामले की फरियादिया की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नीयत से उसका हाथ पकडा था।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 354 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ओमनी मारूति एमपी 07 बीए 1758 पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः उक्त सुपुर्दनामा निरस्त समझा जावे।

12— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत इस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)